63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
स्दस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3272—एक/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—09—2014 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के प्रकरण क्रमांक 46/2012—13/अपील

.....

1— नरेन्द्र सिंह पुत्र शिव सिंह
निवासी—ग्राम गोरमी
2— श्रीमती सावित्री देवी बेवा सत्यानारयण
3— पंकज पुत्र स्व0 सत्यानारयण ,
निवासी—गोरमी पर0, मेहगांव, जिला—भिण्ड

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— विद्या देवी पत्नी श्रीराम तिवारी
निवासी—429 गायत्री कालोनी मुरैना,
जिला— मुरैना, म0प्र0 द्वारा किरायानामा
जयश्रीराम तिवारी समाज कल्याण समिति
द्वारा अध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी पुत्र श्रीराम तिवारी
निवासी—429 गायत्री कालोनी मुरैना,
जिला— मुरैना, म0प्र0
2— श्रीमती हरिप्यारी बेवा श्री किशन
निवासी—ग्राम सिकरोदा, तहसील मेंहगांव
जिला—भिण्ड, म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 6-2-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—09—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोरमी स्थित सर्वे नं0 3153, 3154 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर के आवेदकगण के पिता भूमिस्वांमी व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमियां आवेदकगण द्वारा दिनांक 28.05.86 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई। किन्तु राजस्व रिकार्ड में मौजा पटवारी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अमल नहीं किया गया । बंदोबस्त के दौरान त्रुटि को संशोधन करने का आदेश सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने किया। अनावेदकगण द्वारा मूल आदेश 1986 प्रकरण क्रमांक 33 जो त्रुटिवश रिकार्ड से छूट गया। उसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कोई अपील सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत नहीं कि किन्तु उसके अमल का आदेश जो दिनांक 05.07.12 को किया गया, उसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/2012–13/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त कर दी गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो रिकॉर्ड का अवलोकन किया न आवेदकी आपत्ति पर साक्ष्य ली, महज कल्पना के आधार पर निरस्त कर अनियमित एवं अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बरान के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमियां आवेदकगण द्वारा दिनांक 28.05.86 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है तथा 20.06.86 को नामांतरण आदेश प्रकरण में किया गया, जो कि मूल आदेश है, जिसकी अपील प्रस्तुत न करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल उसका दिनांक 05.07.2012 को किया गया एवं उसकी अपील की गई है, जो कि मूल आदेश नहीं है तथा जिसकी अपील चलने याग्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम गोरमी स्थित आराजी क्र0 3153/0.020, 3154/0.021 हैक्टेयर पर मुताबित विक्रय–पत्र एवं नामांतरण पंजी क्र0 33 दिनांक 20.06.86 खसरा सम्बत 2040–2044 के आधार पर सुधार कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 05. 07.12 को नामांतरण पंजी क्र0 33 आदेश दिनांक 20.06.86 के आधार पर सुधार किये जाने की अनुमति दी गई । जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव के समक्ष अपील पेश की गई। आवेदकगण ने अपील की ग्राह्यता पर आपत्ति प्रस्तुत की । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव द्वारा प्रकरण का पूर्ण अध्ययन किया गया तथा दिनांक 17.09.2014 को इस आशय का आदेश पारित किया कि अपीलाधीन आदेश अंतिम आदेश है, जिसकी अपील व्यथित पक्ष द्वारा की जा सकती है, और अनावेदकगण की आपत्ति निरस्त कर दी।

6/ प्रकरण का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित एवं न्यायसंगत है, क्योंकि व्यथित पक्ष अपने स्वत्व एवं आधिपत्य के समर्थन में सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसे में आवेदकगण की आपत्ति निराधार है। अतः अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2014 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर